



September 2, 2025

To,
Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Symbol: *HONASA*

To,
Listing Department
BSE Limited
Scrip Code: 544014

Sub: Newspaper Publication - 9th Annual General Meeting and E-voting Information

Dear Sir/Madam,

Please find enclosed newspaper clippings for the notice of the 9th Annual General Meeting and E-voting information, published today, i.e. September 2, 2025 in the following newspapers:

- Financial Express – English (All India editions)
- Jansatta – Hindi (New Delhi edition)

Kindly take the same on record. This disclosure will also be hosted on the Company's website viz. www.honasa.in.

Thanking you,

Yours truly,
For **Honasa Consumer Limited**

Gaurav Pandit
Company Secretary and Compliance Officer

Encl.: As above

Honasa Consumer Limited

Registered Office: Unit No- 404, 4th Floor, City Centre, Plot No 05, Sector-12, Dwarka New Delhi 110075

Corporate Office: 10th and 11th Floor, Capital Cyberscape, Sector 59, Gurugram, Haryana, India, 122102

Email: info@mamaearth.in; Phone: 011- 44123544 | Website: www.honasa.in

| CIN: L74999DL2016PLC306016 |



HONASA CONSUMER LIMITED

CIN: L74999DL2016PLC306016

Regd. Off.: Unit No - 404, 4th Floor, City Centre, Plot No 05,
Sector-12, Dwarka, New Delhi – 110 075

Corporate Office: 10th & 11th Floor, Capital Cyberscape, Sector-59,
Gurugram, Haryana – 122 102

E-mail: compliance@mamaearth.in;

Telephone No.: 011 – 44123544; Website: www.honasa.in

9th Annual General Meeting and E-voting Information Virtual Annual General Meeting

Notice is hereby given that 9th Annual General Meeting ("AGM") of the members of Honasa Consumer Limited ("Company") is scheduled to be held on Thursday, September 25, 2025 at 11:00 am (IST) through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Video Means ("OAVM"), to transact the businesses as set out in the notice of 9th AGM ("Notice").

1. The Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide its circular no. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020 and subsequent circular issued in this regard latest being 09/2024 dated September 19, 2024 ("MCA Circulars") have permitted holding of AGM through VC/OAVM. In compliance with MCA circulars and relevant provisions of the Companies Act, 2013 ("Act"), 9th AGM of the Company will be held through VC/OAVM, without the presence of the members at a common venue. Members can join and participate in the 9th AGM through VC/OAVM facility only.
2. In accordance with MCA circulars and SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 3, 2024 read with SEBI Master circular no. SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/0156 dated November 11, 2024, the Company has completed the dispatch of Notice and Annual Report for financial year 2024-25 ("Annual Report") on Monday, September 1, 2025 through electronic mode only to those members whose e-mail address are registered with Depositories as on Friday, August 29, 2025. The requirement for sending physical copies of the Notice and Annual Report has been dispensed with vide MCA and SEBI circulars. Any member who wishes to obtain a physical copy of Notice and Annual Report may write to the Company at compliance@mamaearth.in from their registered email address mentioning DP ID & Client ID. The Notice and Annual Report is available on the website of the Company at www.honasa.in/pages/investor, BSE Limited at www.bseindia.com, National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") at www.evotingindia.com. A letter providing the web-link, where the Annual Report 2024-25 is available, will be sent to those members whose e-mail address is not registered with the Depositories/Company.
3. The Deemed venue of 9th AGM shall be the registered office of the Company i.e., Unit No - 404, 4th Floor, City Centre, Plot No 05, Sector-12, Dwarka, New Delhi - 110 075, India. Members participating through VC/OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under section 103 of the Act.

E-Voting

4. In terms of the provisions of section 108 and other applicable provisions, if any, of the Act read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the Secretarial Standard on the General Meetings (SS-2) and MCA circulars, the Company is pleased to provide its members the facility of voting by electronic means ("E-voting"), which includes both remote E-voting and E-voting at 9th AGM. This facility enables members to exercise their right to vote on the resolutions set forth in the Notice. The Company has appointed CDSL as an authorised agency to provide the facility of E-voting. The detailed procedure for participating in the 9th AGM through VC/OAVM, along with instructions for remote E-voting and E-voting at 9th AGM, forms an integral part of the Notice.
5. Members holding shares, as on Thursday, September 18, 2025 ("Cut-off Date"), may cast their vote electronically on the businesses as set forth in the Notice through E-voting provided by CDSL. All members of the Company are informed that:
 - i. The Ordinary and Special Businesses as set forth in the Notice will be transacted only through E-voting.
 - ii. The remote E-voting will commence on Sunday, September 21, 2025 at 9:00 am (IST) and will end on Wednesday, September 24, 2025 at 5:00 pm (IST).
 - iii. Once the vote on a resolution is cast by a member, the member shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again.
 - iv. A person who has acquired shares and became a member of the Company after the dispatch of Notice and holding shares as on the Cut-off Date, may cast a vote by following the instructions for E-voting as provided in the Notice.
 - v. The members may note that: a) The members who have cast their vote by remote E-voting prior to 9th AGM may participate in 9th AGM through VC/OAVM facility but shall not be entitled to cast their vote again through E-voting at 9th AGM; b) The members participating in 9th AGM and who had not cast their vote by remote E-voting, shall be entitled to cast their vote through E-voting at 9th AGM; c) A person whose name is recorded in the Register of Members or Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the Cut-off Date shall only be entitled to avail the facility of remote E-voting, participate in 9th AGM through VC/OAVM facility and E-voting at 9th AGM.

Other Information

6. The detailed procedure for the manner of registration of email address is provided in the notes to the Notice.
7. If a member has any queries or issues regarding attending 9th AGM, E-voting from the CDSL E-voting System, member may write to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, Central Depository Services (India) Limited (CDSL), A Wing, 25th Floor, Marathon Futrex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai – 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 21 09911.
8. The company has appointed Mr. Shashi Shekhar, Practicing Company Secretary (Membership Number: F12475) as the Scrutinizer for conducting the remote E-voting and E-voting at 9th AGM in a fair and transparent manner.

For Honasa Consumer Limited
Gaurav Pandit

Place: Gurugram

Company Secretary & Compliance Officer

Date: September 1, 2025

Membership No. F13667



होनासा कंज्यूमर लिमिटेड

सीआईएन: L74999DL2016PLC306016

पंजीकृत कार्यालय: यूनिट संख्या - 404, चौबी मंजिल, सिटी सेंटर,

प्लॉट संख्या 05, सेक्टर-12, द्वारका, नई दिल्ली - 110075

कॉर्पोरेट कार्यालय: 10वीं और 11वीं मंजिल, कैपिटल साइबरस्केप,

सेक्टर-59, गुरुग्राम, हरियाणा - 122 102

ईमेल: compliance@mamaearth.in;

टेलीफोन नंबर: 011 - 44123544; वेबसाइट: www.honasa.in

9वीं वार्षिक आम बैठक और ई-वोटिंग सूचना

वर्चुअल वार्षिक आम बैठक

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि होनासा कंज्यूमर लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की 9वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') गुरुवार, 25 सितंबर, 2025 को सुबह 11:00 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो वीडियो साधनों ('ओएवीएम') के माध्यम से 9वीं एजीएम के नोटिस ('नोटिस') में निर्धारित व्यवसायों का संचालन करने हेतु आयोजित की जाएगी।

1. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') ने अपने परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 और इस संबंध में जारी नवीनतम परिपत्र 09/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 ('एमसीए परिपत्र') के माध्यम से वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमति दी है। एमसीए परिपत्रों और कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी की 9वीं एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें सदस्यों की किसी एक ही स्थान पर उपस्थिति नहीं होगी। सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ही 9वीं एजीएम में शामिल हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं।
2. एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2024/133 दिनांक 3 अक्टूबर 2024 के साथ पठित सेबी मास्टर परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी2/सीआईआर/पी/0156 दिनांक 11 नवंबर 2024 के अनुसार, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट ('वार्षिक रिपोर्ट') सोमवार, 1 सितंबर 2025 को केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेजने का काम पूरा कर लिया है, जिनका ई-मेल पता शुक्रवार, 29 अगस्त 2025 तक डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत है। नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता को एमसीए और सेबी परिपत्रों के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। कोई भी सदस्य जो नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति प्राप्त करना चाहता है, वह डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी का उल्लेख करते हुए अपने पंजीकृत ईमेल पते से compliance@mamaearth.in पर कंपनी को लिख सकता है। नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.honasa.in/pages/investor, बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') की वेबसाइट www.evotingindia.com पर उपलब्ध है। वेब-लिंक प्रदान करने वाला एक पत्र, जहां वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 उपलब्ध है, उन सदस्यों को भेजा जाएगा जिनका ई-मेल पता डिपॉजिटरी/कंपनी के साथ पंजीकृत नहीं है।
3. 9वीं एजीएम का मान्य स्थल कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, अर्थात् यूनिट संख्या - 404, चतुर्थ तल, सिटी सेंटर, प्लॉट संख्या 05, सेक्टर-12, द्वारका, नई दिल्ली - 110075, भारत होगा। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के अंतर्गत गणपूर्ति के लिए गिना जाएगा।

ई-वोटिंग

4. कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44 और आम बैठकों पर सचिवीय मानक (एसएस-2) और एमसीए परिपत्रों के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ('ई-वोटिंग') से मतदान की सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्न है, जिसमें रिमोट ई-वोटिंग और 9वीं एजीएम में ई-वोटिंग दोनों शामिल हैं। यह सुविधा सदस्यों को नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों पर अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाती है। कंपनी ने ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए सीडीएसएल को एक अधिकृत एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से 9वीं एजीएम में भाग लेने की विस्तृत प्रक्रिया, साथ ही रिमोट ई-वोटिंग और 9वीं एजीएम में ई-वोटिंग के निर्देश, नोटिस का एक अभिन्न अंग हैं।
5. गुरुवार, 18 सितंबर, 2025 ('कट-ऑफ तिथि') तक शेयर धारक सदस्य, सीडीएसएल द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग के माध्यम से, नोटिस में उल्लिखित व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। कंपनी के सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:
 - i. सूचना में निर्धारित साधारण और विशेष व्यवसाय केवल ई-वोटिंग के माध्यम से ही किए जाएंगे।
 - ii. रिमोट ई-वोटिंग रविवार, 21 सितंबर, 2025 को प्रातः 9:00 बजे (भा.मा.स.) से शुरू होगी और बुधवार, 24 सितंबर, 2025 को सायं 5:00 बजे (भा.मा.स.) समाप्त होगी।
 - iii. एक बार किसी सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर मतदान कर दिए जाने के बाद, सदस्य को बाद में उसे बदलने या पुनः मतदान करने की अनुमति नहीं होगी।
 - iv. कोई व्यक्ति जिसने सूचना प्रेषित होने के बाद शेयर अर्जित किए हैं और कंपनी का सदस्य बन गया है और कट-ऑफ तिथि तक शेयर धारण करता है, वह सूचना में दिए गए ई-वोटिंग के निर्देशों का पालन करके मतदान कर सकता है।
 - v. सदस्य कृपया ध्यान दें कि: क) जिन सदस्यों ने 9वीं एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 9वीं एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन 9वीं एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से फिर से अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे; ख) 9वीं एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला था, वे 9वीं एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने के हकदार होंगे; ग) वह व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि पर डिपॉजिटरी द्वारा प्रबंधित सदस्यों के रजिस्टर या लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाए, वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 9वीं एजीएम में भाग लेने और 9वीं एजीएम में ई-वोटिंग के लिए हकदार होंगे।

अन्य जानकारी

6. ईमेल पते के पंजीकरण की विस्तृत प्रक्रिया सूचना के नोटिस में दी गई है।
7. यदि किसी सदस्य के पास 9वीं एजीएम में भाग लेने, सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम से ई-वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है, तो सदस्य श्री राकेश दलवी, वरिष्ठ प्रबंधक, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल), ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरएक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर फेरल (पूर्व), मुंबई - 400013 को लिख सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल भेज सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800 21 09911 पर संपर्क कर सकते हैं।
8. कंपनी ने श्री शशि शेखर, कार्यरत कंपनी सचिव (सदस्यता संख्या: एफ12475) को रिमोट ई-वोटिंग और 9वीं एजीएम में ई-वोटिंग को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

होनासा कंज्यूमर लिमिटेड के लिए

गौरव पंडित

स्थान: गुरुग्राम

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

दिनांक: 1 सितंबर, 2025

सदस्यता संख्या एफ13667